न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 17/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री रामदेव रैगर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कुहाडा तहसील विराटनगर जयपुर।
2. श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता, निवासी गणगौरी चौक, विराटनगर जयपुर।
3. श्री गोपाल यादव पुत्र श्री अर्जुन लाल यादव, मुनीम सुनील गुप्ता, निवासी वार्ड नं. 15 विराटनगर जिला जयपुर।
4. श्री कैलाश यादव पुत्र श्री सूण्डा राम वाहन चालक निवासी वार्ड नं. 15 विराटनगर जयपुर।
5. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल मालिक दुकान निवासी ख–70, भवानी नगर सीकर रोड जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 06.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से।
   स) श्री राकेश तिवाडी अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली/विराट नगर जयपुर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द रिकार्ड जब्ती, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द पूछताछ एफ.आई.आर. की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 08.03.2007 को उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा एक महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे–जी–2022 में गेंहूँ के भरे हुये 66 कट्टों में से 39 कट्टों को श्री सुनील गुप्ता द्वारा संचालित अस्पताल रोड विराटनगर स्थित दुकान में उतारते हुये पाया गया। मौके से पिकअप में रखे 27 कट्टे गेंहूँ मय वाहन पुलिस थाना परिसर विराटनगर में खडा करवाया। तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक मय स्टॉफ श्री अप्रार्थी संख्या 1 की ईस्माइलपुर चौकी स्थित दुकान, कुहाडा ग्राम स्थित वितरण केन्द्र तथा विराटनगर में अप्रार्थी संख्या 5 की दुकान (जिसको अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा चलाया जाता है) की सील खोलकर निरीक्षण किया। दौराने निरीक्षण 100.53.540 क्विंटल गेंहूं डीलर के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा व भौतिक सत्यापन पर कम पाया गया। जांच में दुकान व पिकअप में रखे 33.09 क्विंटल गेंहूँ (66 कट्टे) व पिकअप को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त गेंहूँ के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 23.10.2008 व 28.01.2010 को अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 17.05.2010 व 18.07.2021 को जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से स्वयं को जब्त पिकअप को स्वामी बताते हुये, वाहन उसे सुपुर्द करने के लिये दिनांक 13.03.2008 को प्रार्थना पेश किया था, जिस पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने पिकअप को अप्रार्थी संख्या 3 को सौंपने के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) रुपये 1,50,000/– के सुपुर्दगीनामे पर दिये। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वारा जब्त गेंहूँ का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही उक्त जब्ती में धारा 3/7 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई.केसेज) जयपुर, जिला जयपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें "अभियुक्त रामदेव रैगर को अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा राशनकार्ड एवं रजिस्टर बाद गुजरने मियाद अपील या अपील ना होने की सूरत में उनके प्राधिकारवान व्यक्ति को लौटा दिये जावे।" निर्णय सुनाया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.07.22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.03.2007 को अप्रार्थीगण के अवैध 33.09 क्विंटल गेंहूँ (66 कट्टे) व पिकअप को जब्त किया गया। मौके से वाहन चालक, मजदूर तथा दुकान संचालक भाग गये थे। डीलर द्वारा गेंहूँ के कम पाये जाने के बाबत कोई भी कारण नहीं बताया गया। इससे साफ तौर पर यह पुष्ट होता है कि जब्तशुदा गेंहूँ रामदेव रैगर द्वारा अवैध रुप से राशन का गेंहूँ विराट नगर बिक्री हेतु लाया गया जो अवैध एवं विधि विरुद्ध स्पष्ट होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसपीई केसेज) जयपुर, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 20.08.2019 में श्री रामदेव रैगर को सन्देह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया है, जबकि उक्त जब्तशुदा अवैध सामग्री के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम जब्त वस्तुओं के संबंध में पृथक निर्णय पारित किया जाना उचित पाते हैं। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं के परिवहन, संग्रहण व संधारण बाबत कोई वैध दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया है और स्टाक कम पाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 33.09 क्विंटल गेंहूँ (66 कट्टे) व पिकअप शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण कर राशि को राजकोष में जमा करावें तथा पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR • III

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।